

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 517] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 1978/कार्तिक 30, 1900
No. 517] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 1978, KARTIKA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, सागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

क्रा. आ. 673 (अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18)
के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इससे द्वारा निर्यात
(नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश
का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 44 वां संशोधन आदेश 1978 की संज्ञा दी
जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 की अनुसूची-1 के भाग "क" में क्रम सं. 40 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि को हटाया जाएगा :—

“40-मुलायम कपास वेस्ट और येलो पिकिंग्स”.

3. उपर्युक्त आदेश की अनुसूची 1 के भाग “ख” में क्रम सं. 68 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

“68-क—मुलायम कपास वेस्ट और येलो पिकिंग्स.”

[मिसिल सं. 2/22/78-ई 1/सं. इ (सी)ओ, 1977/ए एम (78)]

बी. एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 21st November, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 673(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Forty-fourth Amendment Order, 1978.

2. In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 the following entry against S. No. 40 shall be deleted

“40-Soft Cotton Waste and Yellow Pickings.”

3. In part 'B' of Schedule I to the aforesaid Order the following entry shall be included after S. No. 68, namely :—

“68A-Soft Cotton Waste and Yellow Pickings.”

[File No. 2/22/78-EI/No. E(C)O, 1977/AM(78)]

B. L. DAS, Jt. Secy.